ग्रामीण विकास मंत्रालय

मांग संख्या 84

ग्रामीण विकास विभाग

क. वसूलियॉ को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	राजस्व	50142.69	44.75	50187.44	74429.00	48.65	74477.65	59310.00	45.65	59355.65	78452.00	50.33	78502.33
	पूंजी	**...**	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	**50142.69**	**44.75**	**50187.44**	**74429.00**	**48.65**	**74477.65**	**59310.00**	**45.65**	**59355.65**	**78452.00**	**50.33**	**78502.33**
1. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451	...	26.30	26.30	...	28.55	28.55	...	28.64	28.64	...	31.06	31.06
ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम													
2. आजीविका - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन													
2.01 कार्यक्रम घटक	2501	1865.37	...	1865.37	3059.00	...	3059.00	2053.80	...	2053.80	1312.60	...	1312.60
2.02 ईएपी घटक	2501	330.00	...	330.00	600.00	...	600.00	318.00	...	318.00	60.00	...	60.00
जोड़- आजीविका - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन		*2195.37*	...	*2195.37*	*3659.00*	...	*3659.00*	*2371.80*	...	*2371.80*	*1372.60*	...	*1372.60*
ग्रामीण रोजगार													
3. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना													
3.01 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हेतु सहायता	2505	30273.60	...	30273.60	33000.00	...	33000.00	33000.00	...	33000.00	636.00	...	636.00
3.02 राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि से पूरी की गई राशि	2505	-30274.72	...	-30274.72	-33000.00	...	-33000.00	-33000.00	...	-33000.00	-636.00	...	-636.00
	कुल	*-1.12*	...	*-1.12*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
आवास													
4. ग्रामीण आवास													
4.01 इंदिरा आवास योजना	2216	7868.77	...	7868.77	13665.60	...	13665.60	11865.60	...	11865.60	21.00	...	21.00
4.02 राष्ट्रीय निवेश निधि से पूरी की गई राशि	2216	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	कुल	*7868.77*	...	*7868.77*	*13665.60*	...	*13665.60*	*11865.60*	...	*11865.60*	*21.00*	...	*21.00*
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम													
5. डीआरडीए प्रशासन	2515	388.53	...	388.53	225.00	...	225.00	360.00	...	360.00	...	...	...
6. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को अनुदान	2515	31.83	17.04	48.87	45.00	18.50	63.50	29.70	15.25	44.95	45.00	17.45	62.45
7. कापार्ट को सहयोग	2515	...	...	...	15.00	...	15.00	...	...	...	10.00	...	10.00
8. ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान	2515	...	...	...	50.00	...	50.00	3.00	...	3.00	50.00	...	50.00
9. ग्रामीण विकास कार्यक्रमों हेतु प्रबंध सहायता और जिला योजना प्रक्रिया आदि का सुदृढ़ीकरण	2515	141.86	1.41	143.27	108.00	1.60	109.60	75.60	1.76	77.36	117.00	1.82	118.82

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
10. बीपीएल सर्वेक्षण	2515	358.45	...	358.45	53.10	...	53.10	300.10	...	300.10	519.30	...	519.30
	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*358.45*	*...*	*358.45*	*53.10*	*...*	*53.10*	*300.10*	*...*	*300.10*	*519.30*	*...*	*519.30*
11. फ्लैक्सी निधि	2515	...	...	...	0.90	...	0.90	...	...	...	...	...	...
जोड़-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम		**920.67**	**18.45**	**939.12**	**497.00**	**20.10**	**517.10**	**768.40**	**17.01**	**785.41**	**741.30**	**19.27**	**760.57**
सड़कें और पुल													
12. केंद्रीय सड़क निधि को अंतरण	3054	5827.20	...	5827.20	5827.20	...	5827.20	5827.20	...	5827.20	4160.20	...	4160.20
13. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)													
13.01 कार्यक्रम घटक	3054	7884.28	...	7884.28	15690.10	...	15690.10	8685.52	...	8685.52	4529.00	...	4529.00
13.02 ईएपी घटक	3054	1000.00	...	1000.00	4266.00	...	4266.00	661.16	...	661.16	18.00	...	18.00
13.03 पीएमजीएसवाई पर सीआरएफ से पूरी की गई राशि	3054	-5827.20	...	-5827.20	-5827.20	...	-5827.20	-5827.20	...	-5827.20	-4160.20	...	-4160.20
	कुल	*3057.08*	*...*	*3057.08*	*14128.90*	*...*	*14128.90*	*3519.48*	*...*	*3519.48*	*386.80*	*...*	*386.80*
जोड़-सड़कें और पुल		**8884.28**	**...**	**8884.28**	**19956.10**	**...**	**19956.10**	**9346.68**	**...**	**9346.68**	**4547.00**	**...**	**4547.00**
14. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	2235	...	...	...	...	...	...	...	...	...	17.00	...	17.00
15. राष्ट्रीय निवेश - निधि को अंतरण													
15.01 ग्रामीण रोजगार	2505	17366.88	...	17366.88	...	...	...	...	...	...	...	...	...
15.02 ग्रामीण आवास	2216	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़- राष्ट्रीय निवेश - निधि को अंतरण		*17366.88*	*...*	*17366.88*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*
16. राष्ट्रीय रोजगार गारंटी फंड को अंतरण													
16.01 राष्ट्रीय रोजगार गारंटी फंड को अंतरण	2505	30274.72	...	30274.72	33000.00	...	33000.00	33000.00	...	33000.00	636.00	...	636.00
16.02 एनआईएफ से पूरी की गई राशि	2505	-17366.88	...	-17366.88	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	कुल	*12907.84*	*...*	*12907.84*	*33000.00*	*...*	*33000.00*	*33000.00*	*...*	*33000.00*	*636.00*	*...*	*636.00*
17. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ हेतु परियोजनाओं/योजनाओं के लिए प्रावधान													
17.01 आजीविका - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	2552	...	...	...	341.00	...	341.00	228.20	...	228.20	141.40	...	141.40
17.02 ग्रामीण आवास	2552	...	...	...	1518.40	...	1518.40	1318.40	...	1318.40	...	...	...
17.03 डीआरडीए प्रशासन	2552	...	...	...	25.00	...	25.00	40.00	...	40.00	...	...	...
17.04 राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को अनुदान	2552	...	...	...	5.00	...	5.00	3.30	...	3.30	5.00	...	5.00
17.05 ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
17.06 ग्रामीण विकास कार्यक्रमों हेतु प्रबंध सहायता और जिला योजना प्रक्रिया	2552	...	...	...	12.00	...	12.00	8.40	...	8.40	13.00	...	13.00

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
आदि का सुदृढ़ीकरण													
17.07 बीपीएल सर्वेक्षण	2552	...	...	...	5.90	...	5.90	5.90	...	5.90	57.70	...	57.70
17.08 फ्लेक्सी निधि	2552	...	...	...	0.10	...	0.10	...	...	...	...	...	...
17.09 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना - कार्यक्रम घटक	2552	...	...	...	1743.90	...	1743.90	353.32	...	353.32	...	...	...
जोड़- पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ हेतु परियोजनाओं/योजनाओं के लिए प्रावधान		...	...	...	*3651.30*	...	*3651.30*	*1957.52*	...	*1957.52*	*217.10*	...	*217.10*
राज्य आयोजना स्कीमें													
18. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन													
18.01 कार्यक्रम घटक-राज्य आयोजना	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1698.90	...	1698.90
18.02 ईएपी घटक	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	590.00	...	590.00
18.03 कार्यक्रम घटक-संघ राज्य क्षेत्र आयोजना	3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...	3.50	...	3.50
18.04 पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ हेतु परियोजनाओं/योजनाओं के लिए प्रावधान	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	193.60	...	193.60
जोड़- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन		...	...	...	...	...	...	...	...	...	*2486.00*	...	*2486.00*
19. राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि को अंतरण	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	33353.00	...	33353.00
	3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...	11.00	...	11.00
	जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...	*33364.00*	...	*33364.00*
20. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम													
20.01 कार्यक्रम घटक-राज्य आयोजना	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	33353.00	...	33353.00
20.02 कार्यक्रम घटक-सं.रा.क्षेत्र अयोजना	3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...	11.00	...	11.00
20.03 राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि से पूरी की गई राशि	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	-33353.00	...	-33353.00
	3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...	-11.00	...	-11.00
	जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...	*-33364.00*	...	*-33364.00*
	कुल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
21. ग्रामीण आवास-इंदिरा आवास योजना	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1601.00	...	1601.00
	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	14375.00	...	14375.00
	3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...	3.00	...	3.00
	जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...	*15979.00*	...	*15979.00*
22. केंद्रीय सड़क निधि को अंतरण	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2102.30	...	2102.30
23. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना													
23.01 कार्यक्रम घटक- राज्य क्षेत्र आयोजना	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	4016.00	...	4016.00
23.02 कार्यक्रम घटक- सं.रा. क्षेत्र आयोजना	3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...	5.00	...	5.00

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2013-2014 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2013-2014 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2014-2015 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
23.03 पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	950.00	...	950.00
23.04 ईएपी घटक	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	3482.00	...	3482.00
23.05 पीएमजीएसवाई संबंधी सीआरएफ से पूरी की गई राशि	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	-2102.30	...	-2102.30
	कुल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	*6350.70*	...	*6350.70*
24. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1063.50	...	1063.50
	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	9483.47	...	9483.47
	3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...	71.03	...	71.03
	जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...	*10618.00*	...	*10618.00*
जोड़-राज्य आयोजना स्कीमें		**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**70900.00**	**...**	**70900.00**
कुल जोड़		***50142.69***	***44.75***	***50187.44***	***74429.00***	***48.65***	***74477.65***	***59310.00***	***45.65***	***59355.65***	***78452.00***	***50.33***	***78502.33***

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. योजना परिव्यय													
केन्द्रीय योजना:													
1. ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	12501	2195.37	...	2195.37	3659.00	...	3659.00	2371.80	...	2371.80	1372.60	...	1372.60
2. ग्रामीण रोजगार	12505	30273.60	...	30273.60	33000.00	...	33000.00	33000.00	...	33000.00	636.00	...	636.00
3. आवास	22216	7868.77	...	7868.77	13665.60	...	13665.60	11865.60	...	11865.60	21.00	...	21.00
4. अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	12515	920.67	...	920.67	497.00	...	497.00	768.40	...	768.40	741.30	...	741.30
5. सड़क एवं पुल	13054	8884.28	...	8884.28	19956.10	...	19956.10	9346.68	...	9346.68	4547.00	...	4547.00
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	3651.30	...	3651.30	1957.52	...	1957.52	217.10	...	217.10
7. सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	22235	...	...	...	...	...	...	...	...	...	17.00	...	17.00
जोड़ - केन्द्रीय योजना		**50142.69**	**...**	**50142.69**	**74429.00**	**...**	**74429.00**	**59310.00**	**...**	**59310.00**	**7552.00**	**...**	**7552.00**
राज्य योजना:													
1. ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	43601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2482.50	...	2482.50
2. ग्रामीण रोजगार	43601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	33353.00	...	33353.00
3. आवास	43601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	15976.00	...	15976.00
4. सड़कें और पुल	43601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	8448.00	...	8448.00
5. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	43601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	10546.97	...	10546.97
जोड़ - राज्य योजना		**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**70806.47**	**...**	**70806.47**
संघ राज्य क्षेत्र योजना :													
संघ राज्य क्षेत्र योजना (विधानमंडल के साथ)													
1. ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	43602	...	...	...	...	...	...	...	...	...	3.50	...	3.50

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
2. ग्रामीण रोजगार	43602	...	...	...	...	...	...	...	...	...	11.00	...	11.00
3. आवास	43602	...	...	...	...	...	...	...	...	...	3.00	...	3.00
4. सड़कें और पुल	43602	...	...	...	...	...	...	...	...	...	5.00	...	5.00
5. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	43602	...	...	...	...	...	...	...	...	...	71.03	...	71.03
जोड़ - संघ राज्य क्षेत्र योजना		**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**93.53**	**...**	**93.53**
जोड़		**50142.69**	**...**	**50142.69**	**74429.00**	**...**	**74429.00**	**59310.00**	**...**	**59310.00**	**78452.00**	**...**	**78452.00**

1. प्रावधान ग्रामीण विकास विभाग के सचिवालय संबंधी व्यय के लिए है।

2 & 18. . एसजीएसवाई को मिशन मोड में चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित करने के लिए उसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के रूप में पुनर्गठित किया गया है ताकि लक्षित रूप से और समयबद्ध तरीके से परिणाम हासिल किए जा सकें। एनआरएलएम को अब आजीविका का नाम दिया गया है।एसजीएसवाई की तुलना में आजीविका के तहत किए गए दो प्रमुख कार्यनीतिक बदलाव ये हैं कि (i) आजीविका मांग आधारित कार्यक्रम होगी और राज्य अपने पिछले अनुभवों, संसाधनों और कौशलों के आधार पर इस कार्यक्रम के तहत अपनी गरीबी उपशमन कार्य योजनाएं तैयार करेंगे तथा (ii) आजीविका के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर से लेकर उप जिला स्तेर तक सभी स्तपरों पर इस कार्यक्रम के कार्यान्वंयन के लिए विभिन्नत व्यकवसायों के संबंध में व्यावसायिक सहायता संरचना उपलब्ध कराई जाएगी।

आजीविका के तहत स्वसहायता समूहों के गठन के जरिए सार्वभौमिक सामाजिक अवप्रेरण से यह सुनिश्चिगत किया जाएगा कि प्रत्येक ग्रामीण बीपीएल परिवार का कम से कम एक सदस्य, यथासंभव महिला सदस्यी को स्वसहायता समूह (एसएचजी) नेटवर्क में शामिल किया जाए। मजबूत लोक संस्थाओं के गठन के उद्देश्य से आजीविका में ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तरों तक स्वसहायता समूहों के संघ स्थापित करने पर जोर दिया जाएगा। सभी के वित्तीय समावेशन के लक्ष्यं की दिशा में आगे बढ़ते हुए बैंकों के साथ स्वयवसहायता समूहों को जोड़ा जाएगा, ताकि उन्हें ऋण उपलब्ध कराया जा सके। आजीविका में सामुदायिक संस्थाओं और इस कार्यक्रम के कार्यान्वायन में लगे कार्मिकों तथा बैंकरों, पीआरआई कार्यकर्ताओं जैसे अन्यन स्टे कहोल्डमरों के क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई है। उपभोग तथा आय अर्जन कार्य-कलाप शुरू करने जैसी जरूरतों की पूर्ति के लिए प्रत्येथक स्वसहायता समूह को 10,000/- से 15,000/-रू. तक का रिवॉल्विंग फंड दिया जाता है। बैंकों के ऋण शीघ्र अदा करने वाले स्वसहायता समूहों को ब्याज सब्सिसडी दी जाएगी। बैंकों से लिए जाने वाले प्रति परिवार अधिकतम 1,00,000/- रू. तक के हर ऋण के लिए गरीब परिवारों को 7 प्रतिशत और प्राइम लैंडिंग रेट (पीएलआर) के बीच का अंतर दिया जाएगा।

महिला कृषकों की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने तथा ग्रामीण महिला कृषकों, मुख्य रूप से लघु और सीमांत किसानों को सामाजिक-आर्थिक और तकनीकी रूप से अधिकार संपन्न बनाने के लिए- एनआरएलएम के उप-घटक के रूप में महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (एमकेएसपी) नामक नई योजना शुरू की गई है।

ग्रामीण बीपीएल युवाओं को छोटे उद्यम और मजदूरी रोजगार शुरू करने में समर्थ बनाने के लिए उन्हें बुनियादी एवं कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्यन से देश के प्रत्येक जिले में एक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) स्थापित करनेके लिए एनआरएलएम के तहत एक और योजना चलाई जा रही है।

एनआरएलएम के अंतर्गत, 20% निधियां नियोजन से जुड़ी कौशल विकास तथा अभिनव विशेष परियोजनाओं के लिए उपलब्ध हैं। कौशल विकास की प्रत्येवक विशेष परियोजना का उद्देश्य नियमित मजदूरी रोजगार सुनिश्चित करते हुए नियोजन के जरिए काफी अधिक संख्या में बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए एक समयबद्ध प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम सुनिश्चित करना होगा।

ग्रामीण विकास मंत्रालय जम्मू व कश्मीर में कौशल सशक्ती करण और रोजगार (एसईईजेएंडके) के लिए हिमायत नामक एक नई योजना का कार्यान्वियन भी कर रहा है। इसमें अगले 5 वर्षों में जम्मू व कश्मीर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के एक लाख युवाओं को कवर करने की परिकल्पना की गई है। इसमें अलग-अलग शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले सभी युवाओं अर्थात् विद्यालय की पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले, स्नातक तक की पढ़ाई पूरी न करने वाले आदि को शामिल किया जाएगा। 70% निधियों का इस्तेरमाल मजदूरी रोजगार के लिए तथा शेष 30% निधियों का इस्तेमाल स्वरोजगार के लिए किया जाएगा। यह शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजना है।

3 & 20. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2.2.2006 से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इच्छुक वयस्क सदस्यों के लिए कम से कम 100 दिनों के अकुशल मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने की व्यवस्था करनी है। प्रारंभ में इस कार्यक्रम को देश के 200 अत्यंत पिछड़े जिलों में कार्यान्वित किया गया था, बाद में दो चरणों में इसे देशभर में लागू किया गया।

मनरेगा में टिकाऊ और लाभकारी परिसंपत्तियों के सृजन की परिकल्पना की गई है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का काफी अधिक आर्थिक और पारिस्थितिकीय विकास होगा। परिसंपत्तियां सृजित करने के उद्देश्य में स्थानीय जरूरतों और प्राथमिकताओं का भी ध्यान रखा जाता है और कार्यस्थल पर सामुदायिक भागीदारी और विभागीय तालमेल की आवश्यकता होती है।

भारत सरकार की समेकित कार्य योजना (आईएपी) के अंतर्गत शामिल किए गए पिछड़े जिलों पर विशेष बल दिया गया है। ऐसे आईएपी जिलों में मनरेगा कामगारों के लिए समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए, उन क्षेत्रों में नकद भुगतान करने की अनुमति दी गई है, जहां बैंकों/डाकघरों की मौजूदगी काफी कम है। आईएपी जिलों में मनरेगा के अंतर्गत खेल के मैदानों और आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण को महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत किए जाने वाले अनुमेय क्रियाकलापों में से एक क्रियाकलाप के रूप में अधिसूचित किया गया है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)के लिए सरकार द्वारा चुने गए 51 जिलों में से 46 ग्रामीण जिलों में प्रायोगिक आधार पर आधार समर्थित मजदूरी भुगतान किया जा रहा है।

4 & 21. . इंदिरा आवास योजना का मुख्यत उद्देश्य है- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ग्रामीण परिवारों तथा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ग्रामीण परिवारों के लिए आवासीय इकाइयों के निर्माण तथा मरम्मत न किए जा सकने वाले कच्चे मकानों के उन्नयन में सहायता उपलब्धर कराना। 1995-96 से आई.ए.वाई. का लाभ सशस्त्र कार्रवाई में मारे गए सशस्त्र एवं अर्धसैनिक बलों के सदस्यों के परिवारों को भी दिया गया है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों की सहायता के लिए येाजना के अंतर्गत कम से कम 60% निधियां निर्धारित की जाती हैं। गामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले विकलांगों के लिए 3% निधियां आरक्षित हैं।बीपीएल अल्पासंख्यवकों (15 प्रतिशत) के लिए आईएवाई निधियां तथा वास्तलविक लक्ष्यख भी निर्धारित किए गए हैं।

6. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एनआईआरडी) भारत में ग्रामीण विकास में प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए एक शीर्ष संस्थान है। विकासात्मक मुद्दों पर पाठ्यक्रम आयोजित करने के अलावा, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज के कर्मियों की क्षमता का निर्माण एनआईआरडी के मुख्य विषय हैं।

7. लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कपार्ट) का उद्देश्यल विकासात्मोक कार्यक्रमों के कार्यान्वौयन और आवश्य कता आधारित अभिनव परियोजनाओं में गैर-सरकारी स्वैाच्छिकक संगठनों के माध्य म से लोगों को शामिल करना है। कपार्ट उच्चा स्तीर की सामाजिक एकजुटता के माध्य म से सामाजिक बाधाओं को कम करके एवं ग्रामीण गरीबों को अधिकार देकर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए जन आंदोलन शुरू करने का कार्य करती है।

8. ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं के प्रावधान (पुरा) का उद्देश्यब निर्धारित ग्रामीण बस्तियों में वास्तविक एवं सामाजिक आधारभूत सुविधाओं में कमी को समाप्त करना है, ताकि उनकी विकास की क्षमता को बढ़ाकर ग्रामीणों का शहरों की ओर पलायन रोका जा सके।

9. इसमें ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए प्रबंधन सहायता और प्रशिक्षण क्रियाकलापों, जागरूकता सृजन (आईईसी), निगरानी तंत्र को मजबूती प्रदान करने, सूचना प्रौद्योगिकी और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए जिला नियोजन प्रक्रिया को सुदृढ़ करने का प्रावधान शामिल है।

10. यह प्रावधान मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत लक्ष्य किए जाने वाले ग्रामीण बीपीएल परिवारों के निर्धारण के उद्देश्यन से बीपीएल सर्वेक्षण कराने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है।

13 & 23. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना केन्द्र प्रायोजित येाजना है, जिसका उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कोर नेटवर्क में मौजूद सड़कों से न जुड़ी सभी मौजूदा पात्र बसावटों को अच्छीं बारहमासी सड़कों के माध्यम से सड़क संपर्क उपलब्ध कराना है।

इस कार्यक्रम में मैदानी क्षेत्रों में 500 व्यक्तियों और इससे अधिक तथा पर्वतीय राज्यों, जनजातीय (अनुसूची V) क्षेत्रों, मरूभूमि क्षेत्रों (मरूभूमि विकास कार्यक्रम में यथानिर्धारित) और गृह मंत्रालय/योजना आयोग द्वारा समेकित कार्य योजना के तहत यथानिर्धारित 82 चुनिंदा जनजातीय एवं पिछड़े जिलों में 250 व्यक्तियों और इससे अधिक की आबादी वाली बसावटों को सड़कों से जोड़ने की परिकल्पना की गई है।

'ग्रामीण सड़क' को भारत निर्माणके 6 घटकों में से एक घटक के रूप में निर्धारित किया गया है, जिसका उद्देश्य 1000 व्यक्तियों और इससे अधिक (पर्वतीय राज्यों या अनुसूची V के जनजातीय क्षेत्रों के मामले में 500 व्यक्तियों और इससे अधिक) आबादी वाली सभी बसावटों को अच्छीन बारहमासी सड़कों से जोड़ना है। भारत निर्माण कार्यक्रम में 'उन्नलयन' घटक भी शामिल है, जिसमें खेतों से बाजार तक पूर्ण सड़क संपर्क सुनिश्चित करने के उद्देश्य़ से मौजूदा 1.94 लाख किलोमीटर ग्रामीणसड़कों (राज्यों द्वारा वित्तपोषित किए जाने वाले ग्रामीण सड़कों के 40 प्रतिशत नवीकरण सहित) के उन्नतयन का लक्ष्यी निर्धारित किया गया है। राज्यों द्वारा किए गए जमीनी सत्यापन के आधार पर भारत निर्माण के अंतर्गत कुल 63940 बसावटों को सड़को से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के लिए सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त 3 परियोजनाएं विभिन्न् राज्योंक में चलाई जा रही हैं, जिनमें से ग्रामीण सड़क क्षेत्र परियोजना-II और I। एशियाई विकास बैंक की सहायता से तथा ग्रामीण सड़क परियोजना-I विश्व् बैंक की सहायता से चल रही हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्रदान करने के लिए एशियाई विकास बैंक के अंतर्गत ग्रामीण सड़क क्षेत्र-III परियोजना पर भी बातचीत चल रही है। विश्वग बैंक की ग्रामीण सड़क परियोजना-II के अंतर्गत 1.5 बिलियन अमरीकी डालर के ऋण समझौते पर 14 जनवरी, 2011 को हस्ताक्षर किए गए। यह परियोजना 7 राज्यों में चलाई जा रही है।

14 & 24. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के अंतर्गत राज्यों को दी जाने वाली सहायता में इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पैंशन स्कीम (आईजीएनओएपीएस), इन्दिरा गांधी विधवा पैंशन स्कीम (आईजीएनडब्ल्यूपीएस), इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्तता पैंशन स्कीम (आईजीएनडीपीएस), राष्ट्रीय परिवार कल्याण स्कीम (एनएफबीएस) और अन्नपूर्णा स्कीम शामिल हैं।

17. यह प्रावधान पूर्वोत्तर राज्यों, जिनमें सिक्किम शामिल है, के लाभ के लिए परियोजनाओं/ योजनाओं के लिए किया गया है।